

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टिमरनी, जिला हरदा

2960
पत्र क्रमांक / खाद्य. / दुकान आवंटन/ 2024

टिमरनी दिनांक 07/2024

"प्रेस विज्ञप्ति"

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा वेबसाईट <https://rationmitra.nic.in/NewShop> पर दुकान आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन किए जा रहे है। दुकानों के आवेदन किये जाने हेतु

(01) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (01) के अंतर्गत वर्गीकृत

- उपभोक्ता सोसाइटी
- विपणन सोसाइटी
- उत्पादक सोसाइटी
- संसाधन सोसाइटी
- बहुप्रयोजन सोसाइटी

(02) महिला स्व-सहायता समूह (अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत)

(03) संयुक्त वन प्रबंधक समिति/संस्थाओं

उपर्युक्त समिति/संस्थाओं से जिले के टिमरनी अनुविभाग अंतर्गत उचित मूल्य दुकान हेतु ग्राम पंचायत बरकला, निमाचारखुर्द, खिडकीवाला, मनियाखेड़ी, गोंदागांवकला, अहलवाड़ा, सन्यास, लछौरा, गोंदागांवखुर्द, गुल्लास हेतु आवेदन दिनांक 10/07/2024 से 15/07/2024 तक आमंत्रित किये जा रहे है।

संस्थाये अपने आवेदन ऑनलाइन कर इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, टिमरनी मे निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
ए.डी.आर.टी., जिला-हरदा
टिमरनी
टिमरनी दिनांक 07/2024

2961
पृ.क्रमांक / खाद्य. / दुकान आवंटन/ 2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) की ओर सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग विकासखण्ड टिमरनी उपर्युक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए स्व-सहायता समूहों को आवेदन किए जाने हेतु निर्देश जारी करें।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला-हरदा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
4. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, टिमरनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
ए.डी.आर.टी., जिला-हरदा
टिमरनी